UPAG010062362026

न्यायालय Additional District and Session Judge,Court No-11, Agra

पीठासीन अधिकारी–(Rajmangal Singh Yadav)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा)–**UP1666

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2646/2026</u>

राजेश पुत्र तुलसी निवासी–रामनगर हॉस्पीटल वाली गली, थाना–लाईनपार, जिला फिरोजाबाद, उम्र करीब 43 वर्ष।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य ..... अभियोगी/ विपक्षी

अ0सं0–29/2026
धारा–303(2), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0
थानाः शमशाबाद, जिला आगरा।

<u>दिनांकः 12.06.2026</u>

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त राजेश की ओर से अ0सं0–29/2026, धारा–303(2), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0 थाना शमशाबाद, जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में उर्मिला देवी पत्नी राजेश का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी जावेद पुत्र हनीफ निवासी मौ गोपालपुरा पथवारी मन्दिर के पास कस्बा थाना शमशाबाद, आगरा का रहने वाला है। दिनांक 10.02.2026 को समय करीब 11 बजे अपनी ईको गाड़ी नं0 यूपी80जीसी5041 को अपने घर के सामने खड़ी करके और खाना पीना खाकर सो गया जब सुबह समय करीब 8:00 बजे जागकर घर से बाहर आया तो प्रार्थी की ईको गाड़ी नहीं मिली। काफी इधर–उधर तलाश की मगर कहीं पता नहीं चला जिसे कोई अज्ञात चोर ले गया। वह गाड़ी मेरे चाचा का लड़का रोहित पुत्र मेहराज नि0 उपरोक्त के नाम थी। उसे प्रार्थी ने 2022 में खरीद लिया था। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. जमानत प्रार्थनापत्र एंव उसके साथ प्रस्तुत शपथपत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमे में झूँठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक 10.02.2026 की बतायी गयी है जबकि मुकदमा थाना हाजा पर 06 दिन

की देरी से दिनांक 16.02.2026 को समय करीब 12:58 बजे पंजीकृत किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत कराई गई है और उक्त मुकदमे का कोई भी स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी दर्शायी गयी है। उपरोक्त मुकदमे में सहअभियुक्त सोनू कुमार की जमानत दिनांक 30.04.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.04.2026 से जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाये।

4. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री संतोष सिंह भाटी के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त की जमानत खारिज की जाए ।

5. मैंनें अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री झम्मन सिंह एवं अभियोजन की ओर से विद्वान ए0डी0जी0सी0 श्री संतोष सिंह भाटी को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी ईको गाड़ी चुराये जाने के सम्बन्ध में थाना शमशाबाद में दिनांक 16.02.2026 को मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभियुक्त प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त नहीं है। घटना दिनांक 10.02.2026 की बतायी गयी है लेकिन 6 दिन विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों दर्ज करायी इसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया गया है। घटना व बरामदगी का कोई जनता का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त दिनांक 14.04.2026 से जेल में निरूद्ध है। थाने की आख्या के साथ अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त की ओर से उक्त मुकदमे विचाराधीन बताये गये हैं किन्तु अभियोजन की ओर से अभियुक्त को किसी मुकदमें में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने की बावत् कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त सोनू कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में मामले के गुण–दोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये जमानत के आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

7. प्रार्थी/अभियुक्त राजेश का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक द्वारा एक–एक लाख रूपये के दो जमानती एवं इतनी ही धनराशि का स्वबंध पत्र दाखिल करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर आवेदक/अभियुक्त को निम्नलिखित शर्तों का वचन पत्र निष्पादित करने पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1. अभियुक्त/आवेदक जमानत पर छूटने के बाद गवाहों को डरायेगा व धमकायेगा नहीं तथा गवाहों पर किसी प्रकार दबाव नहीं डालेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा, विचारण के प्रारंभ की अवस्था, आरोप विरचित होने के दिनांक एवं धारा 351 बी.एन.एस.एस.के अन्तर्गत परीक्षण दिनांक को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा।

3. अभियुक्त/आवेदक जमानत पर छूटने के बाद विचारण में प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित होगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इस आदेश की एक प्रति ई–मेल के माध्यम से जेल अधीक्षक को प्रेषित की जाये।

ह0

(राजमंगल सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–11, आगरा
12.06.2026

Digitally signed by RAJMANGAL SINGH YADAV
Date: 2026.06.12 12:34:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Agra